UPBB010065942021

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं.**04,** बाराबंकी।

सत्र परीक्षण वाद सं० 1990/2021

सरकार बनाम अमित कुमार आदि।

अपराध सं. 16 /2015
धारा 147, 148, 302, 364,
201, 216 भा०दं०सं०,
थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी।

निस्तारण प्रार्थनापत्र मृदुला आनन्द ब 30 एवं तूफानीराम ब 34 अन्तर्गत धारा 226 दं०प्र०सं०

आदेश पत्र

दिनांक **08.08.2022**

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता मृदुला की ओर से प्रार्थनापत्र ब 30 अन्तर्गत धारा 226 दं०प्र०सं० इस आशय का दिया गया है कि वह उक्त वाद में आरोपी है तथा उसको अभी तक ज्ञात नहीं है कि उसने कौन सा अपराध किया है। अभियोजन कथनानुसार दिनांक 19–01–2015 को वादी दिनेश चन्द्र का लड़का शिखर श्रीवास्तव उर्फ राजा अपने आफिस गया था, लगभग 12:30 बजे लखनऊ के लिये रवाना हुआ, वहां डा० विजय कुमार बांसगांव विधायक व उनकी पत्नी मृदुला आनन्द जिला विद्यालय निरीक्षक ने नौकरी के लिये साढ़े तीन लाख रूपये लिया था, यह तथ्य आरोप पत्र से प्रमाणित नहीं हुआ है। वाद की जांच सी०बी०सी०आई०डी० के डिप्टी रैंक के विवेचनाधिकारी ने की है जिसमें उसको दोषमुक्त माना है। एस०पी०ओ० द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करके विवेचक की राय से सहमत होते हुए दिनांक 15–04–2018 को अभियोजन साक्ष्य के अपर्याप्त होने की बात भी लिखी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतक के निशातगंज, लखनऊ पहुंचने की बात भी पूर्णतया असत्य है क्योंकि मृतक के मोबाइल हैण्डसेट के लोकेशन उसके आवास पर नहीं है और न ही सी०सी०टी०वी० फुटेज में मृतक की मौजूदगी पायी गयी है। वह 19–01–2015 को शाम 7 बजे से 8 बजे तक अपने कार्यालय में ही थी। यह बात कार्यालय कर्मियों के बयान से भी स्पष्ट है। **नजीर अहमद बनाम एम्पायर नवम्बर–2 AIR 16 जून 1936 तथा बंटी उर्फ गुड्डू बनाम राज्य मध्य प्रदेश–2004 SCC Cr. 294** की विधि व्यवस्था के अनुसार अभियोजन पक्ष को साक्ष्य समस्त सामग्री न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। वर्तमान मामले में

न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 226 दं०प्र०सं० के प्राविधानों का पालन किये बगैर उसके खिलाफ आरोप विरचन की तिथि नियत कर दी है, अभियोजन पक्ष इस मामल में सबूत रखने में विफल रहा है और न ही न्यायालय को पत्रावली पर मौजूद सबूतों के बारे में बताया ही गया। आरोप पत्र में उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। पत्रावली पर उसको दोषी करार देने के लिये कोई साक्ष्य व सबूत नहीं है। उसके खिलाफ धारा 147, 148, 364, 302, 201, 216 IPC का कोई सबूत नहीं है। वाद में धारा 226 दं०प्र०सं० के प्राविधान लागू कराये जाने की आवश्यकता है तथा न्यायहित में धारा 226 दं०प्र०सं० का अनुपालन कराये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी/ अभियुक्त तूफानीराम की ओर से भी प्रार्थनापत्र ब 34 अन्तर्गत धारा 226 दं०प्र०सं० इस आशय का दिया गया है कि वह उक्त वाद में आरोपी है तथा उसको अभी तक ज्ञात नहीं है कि उसने कौन सा अपराध किया है। वह दिनांक 19–01–2015 को गनर ड्यूटी विजय कुमार विधाक बासगांव से वापस आकर पुलिस लाइन गोरखपुर में 09:20 बजे अपनी आमद करायी थी। दिनांक 20–01–2015 को वह गोरखपुर से लखनऊ डा० विजयकुमार विधायक बासगांव की ड्यूटी के लिये निकला और दिनांक 21–01–2015 को पालीटेक्निक चौराहा लखनऊ पहुंचा। इस बात की पुष्टि आरोप पत्र में संलग्न जांच एजेन्सी के कागजातों से भी होती है। वह अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में था। उसका विधायक डा० विजय कुमार की सुरक्षा से मतलब था, उनके अपराध की उसको कोई जानकारी भी नहीं थी क्योंकि वह उस कथित घटना के समय गोरखपुर में था। विधि के अनुसार सबसे पहले लोक अभियोजक अभियोजन का केस न्यायालय को बतायेगा, वह यह बतायेगा कि अभियुक्त के विरूद्ध क्या आरोप है और उनको साबित करने के लिये वह क्या साक्ष्य पेश करना चाहेगा। धारा 226 दं०प्र०सं० के अधीन अपने केस को अनावरण करने हेतु लोक अभियोजक के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह दस्तावेजों सहित साक्ष्य के बारे मे जिससे वह अपने केस को साबित करेगा, सम्पूर्ण ब्यौरा दे, जब वह आरोप का विवरण, साक्ष्य का सारांश तथा गवाहों की विशिष्टयां दे देता है तो वह धारा का पर्याप्त अनुपालन समझा जायेगा, लोक अभियोजक को अपने केस के अनावरण सम्बोधन में उन प्रश्नों के बारे में वर्णन नहीं करना चाहिए जिसके बारे में दौरान विचारण कोर्ट साक्ष्य देना आश्यित नहीं है या जिसके बारे में साक्ष्य पेश नहीं किया जा सकता है, प्रारम्भिक कथा में अभियोजन को केवल उन्हीं प्रश्नों तक अपने को परिसीमित रखना चाहिए जो न्यायालय को अभियोजन का साक्ष्य समझने के लिये आवश्यक है, यह सन्दिग्ध प्रश्नों की गृहता को उठाने का तय करने की स्टेज नहीं है। यदि अभियोजन दौरान विचारण किसी गवाह को पेश नहीं करना चाहता है तो लोक अभियोजक को अपने प्रारम्भिक सम्बोधन में उसका नाम व पता तथा प्रयोजन, जिसके लिये उसे समन किया गया है बता देना चाहिए और न्यायालय को उन्हें ऐसा करने के लिये जोर देना चाहिए। **नजीर अहमद बनाम एम्पायर नवम्बर–2 AIR 16 जून**

1936 तथा बंटी उर्फ गुड्डू बनाम राज्य मध्य प्रदेश–2004 SCC Cr. 294 की विधि व्यवस्था के अनुसार अभियोजन पक्ष को साक्ष्य समस्त सामग्री न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। वर्तमान मामले में न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 226 दं०प्र०सं० के प्राविधानों का पालन किये बगैर उसके खिलाफ आरोप विरचन की तिथि नियत कर दी है, अभियोजन पक्ष इस मामल में सबूत रखने में विफल रहा है और न ही न्यायालय को पत्रावली पर मौजूद सबूतों के बारे में बताया ही गया। आरोप पत्र में उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। पत्रावली पर उसको दोषी करार देने के लिये कोई साक्ष्य व सबूत नहीं है। उसके खिलाफ भा०दं०सं० की धारा 216 का कोई सबूत नहीं है। वाद में धारा 226 दं०प्र०सं० के प्राविधान लागू कराये जाने की आवश्यकता है। उसके द्वारा न्यायहित में धारा 226 दं०प्र०सं० का अनुपालन कराये जाने की याचना की गयी।

उपरोक्त दोनो ही प्रार्थनापत्रों में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपना केस प्रस्तुत करते समय उन गवाहों के विषय में नहीं बताया गया है जिनके माध्यम से अभियोजन अपना केस सिद्ध करना चाहता है।

प्रार्थनापत्र पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि धारा 226 दं०प्र०सं० के अनुसार अभियोजन को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप और उसे किस साक्ष्य से साबित किया जाना है, मात्र यहीं बताना है और इस स्तर पर अभियुक्त को नहीं सुना जा सकता। उनके द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह पुनः आरोपों को और उन्हें किस साक्ष्य से साबित करना है, के सम्बंध में न्यायालय को सम्बोधित करने को तैयार हैं।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण डा० विजय, मृदुला आनन्द, अमित, रिंकू उर्फ नंदकिशोर तथा संगम भास्कर के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 364, 302, 201, 216 IPC का आरोप है, अभियुक्तगण तूफानीराम, रामसिंह व राजेन्द्र के विरूद्ध धारा 216 IPC का अपराध कारित किये जाने का आरोप है और उपरोक्त समस्त अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियोजन के साक्षी मृतक का भाई शिवम श्रीवास्तव, गवाह अर्पितराज, गवाह कन्हैया, डा० विजय के नौकर सुभाष एवं सद्दाम ने अभियोजन के समर्थन में साक्ष्य दिया है तथा पत्रावली पर कालडिटेल रिपोर्ट भी उपलब्ध है जो अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य है और उसे साक्षियों से साबित कराकर अभियोजन कथानक को साबित कराया जायेगा। गवाह शिवम जो कि मृतक का भाई है, ने 19–01–2015 को मृतक शिखर को डाक्टर विजय कुमार, मृदुला आनन्द, अमित, रिंकू एवं संगम भास्कर के साथ सफारी गाड़ी में हनीमैन चौराहा लखनऊ पर देखा और उपरोक्त गाड़ी शिवम द्वारा रोकने पर नहीं रूकी, रात तक शिखर के वापस न आने पर शिवम विधायक डा० विजय कुमार के सरकारी आवास

निशातगंज पर गया तो वहां भी विधायक विजय कुमार और उनकी पत्नी मृदुला आनन्द नहीं मिलीं। इन तथ्यों को अभियोजन द्वारा साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराकर साबित किया जायेगा। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जिसमें प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, परन्तु मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर कई प्रकार की चोटें पायी गयी हैं तथा उसकी रिब्स की हड्डियां टूटी पायी गयी हैं, जिससे स्पष्ट है कि उसके ऊपर हमला करके, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या की गयी है। अभियोजन इन सभी तथ्यों को चिकित्सक साक्षी और विशेषज्ञ साक्षी की सहायता से साबित करेगा। मामले के विवेचक को तथा एफ०आई०आर० लेखक को भी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे मामले की विवेचना के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों को पुष्ट किया जा सके।

इस तरह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तावित आरोप और उन आरोपो को किस साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध किया जाना है, इस विषय पर न्यायालय को बताया गया और धारा 226 दं०प्र०सं० का अनुपालन अभियोजन पक्ष द्वारा कर दिया गया है। प्रार्थनापत्र ब 30 एवं ब 34 वास्ते अनुपालन कराये जाने धारा 226 दं०प्र०सं० तद्नुसार निस्तारित किये जाते हैं।

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थनापत्र ब 28 एवं ब 29 लंचबाद पेश हो।

दिनांक 08–08–2022

(कमल कान्त श्रीवास्तव)
J.O. Code:UP01559
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं.04, बाराबंकी।